सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

National Commission For Scheduled Tribes

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

National Commission For Scheduled Tribes

अस्मिता • अस्तित्व • विकास

"राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिये यह आवश्यक है कि सामाजिक व्यवस्था में अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के मन में यह विश्वास हो कि राज्य व्यवस्था में उसकी **अस्मिता** का सम्मान है उसके **अस्तित्व** की रक्षा है और उसके **विकास** के लिए न्यायपूर्ण अवसर उपलब्ध हैं।

समाज के सभी वर्गों में शासन के न्यायपूर्ण होने का यह विश्वास ही एक उन्नत और प्रगतिशील समाज के निर्माण को सुनिश्चित करता है। अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान एवं संकोची स्वभाव के कारण संविधान निर्माताओं ने जनजाति समाज के लिए विशेष प्रावधान किए।

जनजाति समाज अपनी अस्मिता की रक्षा करते हुए अपने अधिकारों का उपयोग कर सके तथा विकास के पथ पर अग्रसर हो, इसका संविधान प्रदत्त दायित्व राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का है।"

हर्ष चौहान
अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

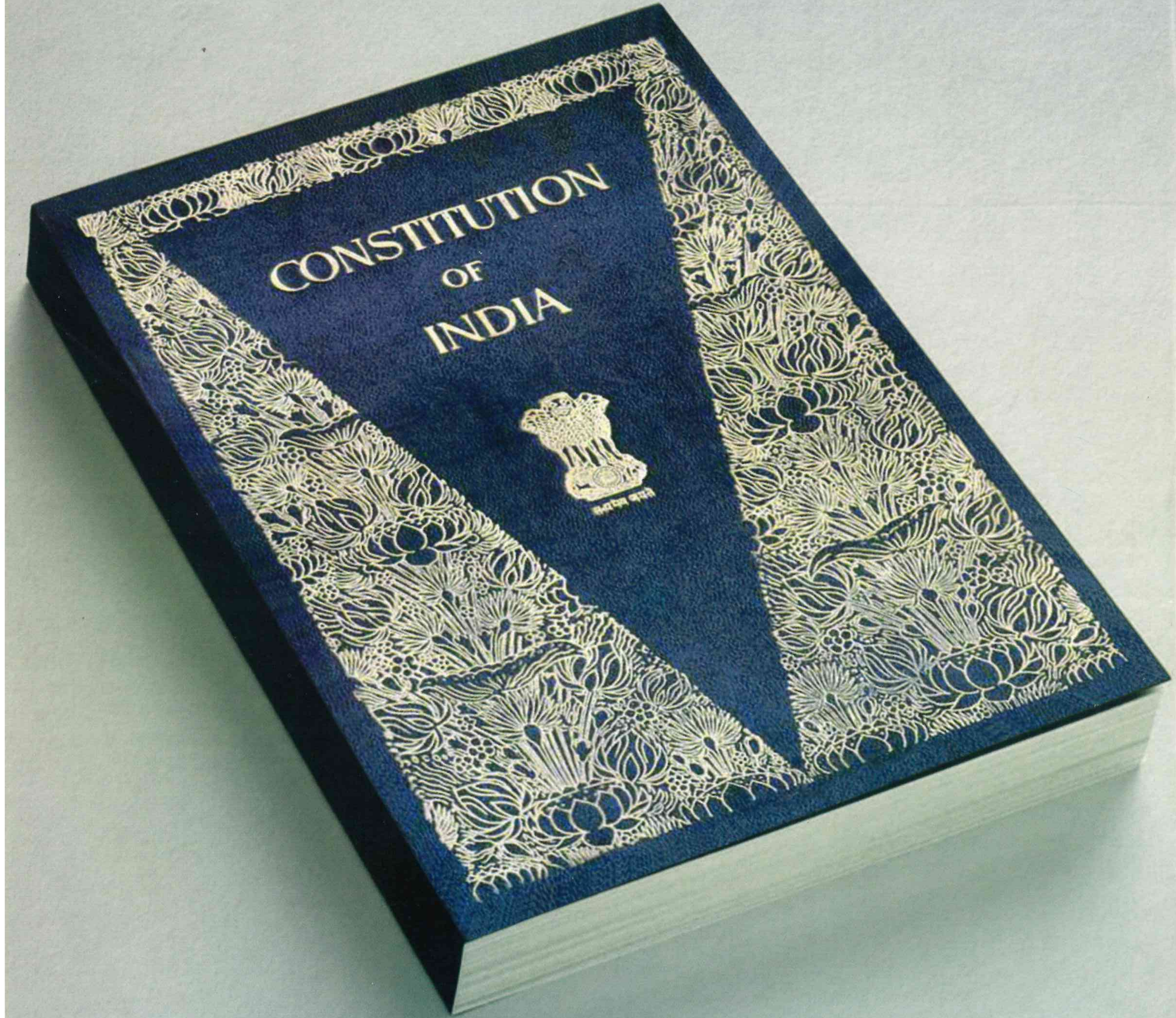

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) भारत के संविधान के **अनुच्छेद 338A** के तहत स्थापित एक **संवैधानिक निकाय** है। आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा की जाती है।

आयोग का संगठनात्मक ढांचा:

पद एवं प्रोटोकॉल :

- अध्यक्ष - केन्द्रीय कैबिनेट मंत्री
- उपाध्यक्ष - केन्द्रीय राज्य मंत्री
- सदस्य (3) (एक महिला) - भारत सरकार के सचिव

आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में और देश भर में छह क्षेत्रीय कार्यालय हैं। संविधान निर्माताओं ने अनुभव किया कि जनजाति समुदायों की एक विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान एवं विकास की भिन्न चुनौतियां हैं।

जनजाति समुदाय सदियों से आर्थिक विकास के साथ-साथ पारिस्थितिक संतुलन को सुनिश्चित करने वाली एक विकास दृष्टि का पालन करता रहा है, जिसे आधुनिक दुनिया में 'अक्षय विकास' कहा जाता है। इस परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, जनजाति की विशिष्ट आवश्यकताओं को मान्यता दी गई।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को जनजाति समुदायों के अधिकारों की रक्षा एवं विकास की योजनाओं के निरीक्षण का दायित्व एवं विशेष संवैधानिक दर्जा दिया गया है।

आयोग के संविधान प्रदत्त दायित्व

- **अनुच्छेद 338A** के तहत या किसी अन्य कानून के तहत या सरकार के किसी भी आदेश के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी करना और ऐसे सुरक्षा उपायों के कामकाज का मूल्यांकन करना।
- अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित करने के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना।
- अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और सलाह देना और संघ और किसी भी राज्य के तहत उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना।
- राष्ट्रपति को वार्षिक रुप से और ऐसे अन्य समय पर प्रस्तुत करने के लिए जो आयोग उचित समझे, उन सुरक्षा उपायों के काम पर रिपोर्ट देना।
- ऐसी रिपोर्टों में उन उपायों के बारे में सिफारिश करना जो संघ या किसी राज्य द्वारा अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए उन सुरक्षा उपायों और अन्य उपायों के प्रभावी कार्यान्वियन के लिए किए जाने चाहिए।
- अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और विकास और उन्नति के संबंध में ऐसे अन्य कार्यों का निर्वहन करना जो राष्ट्रपति, संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन, नियम द्वारा निर्दिष्ट करें।

आयोग की संविधान प्रदत्त शक्तियाँ

- भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को बुलाना और हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना।
- किसी दस्तावेज़ की खोज और उत्पादन की आवश्यकता।
- हलफनामों पर साक्ष्य प्राप्त करना।
- किसी अदालत या कार्यक्षेत्र से किसी सार्वजनिक रिकॉर्ड या उसकी प्रति की मांग करना।
- गवाहों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना।
- कोई अन्य मामला जिसे राष्ट्रपति, नियम द्वारा, निर्धारित कर सकते हैं।
- अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर संघ और प्रत्येक राज्य सरकार, आयोग से परामर्श करेगी।

आयोग की संरचना

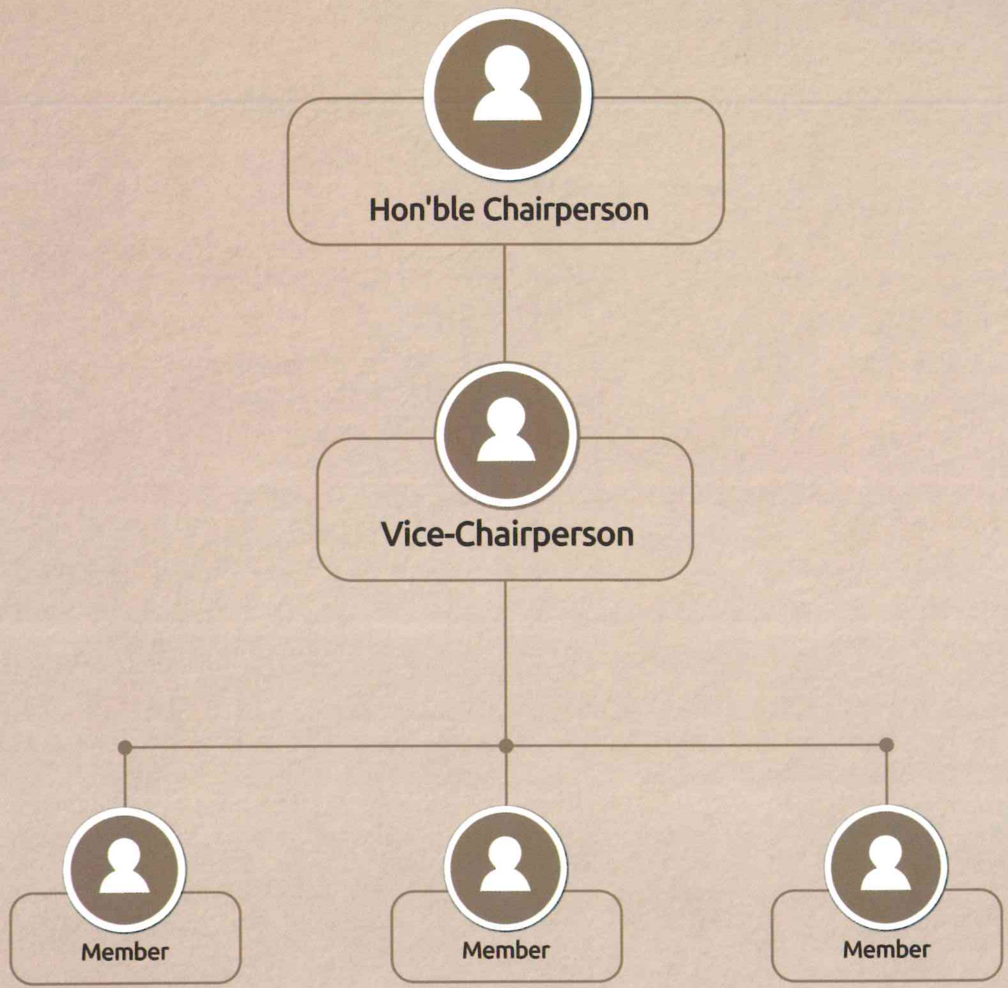

वर्तमान आयोग

श्री हर्ष चौहान, माननीय अध्यक्ष

- सामाजिक कार्यकर्ता एवं विचारक
- ग्राम भुवानियाँ, जिला धार, मध्य प्रदेश
- शिक्षा - मेकेनिकल इंजीनियर (1977-82) जीएसआइटीएस, इंदौर (मप्र), एम टेक (1982-84), सिस्टम मेनेजमेंट, आईआईटी दिल्ली,
- बेचलर आफ जर्नलिज़्म एंड मास कम्युनिकेशन (1989-90), डीएवीवी, इंदौर (मप्र)
- समेकित ग्राम विकास एवं जनजाति संस्कृति एवं मूल्यों के संरक्षण में विशेष रुचि।

श्री अनंत नायक, माननीय सदस्य

- सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता
- ग्राम लंगलकंटी, जिला केंदुझर, ओड़िशा
- शिक्षा - मेकेनिकल इंजीनियर, बोस, कटक, उड़ीसा
- संसद सदस्य (1999-2009)

प्रशासनिक ढांचा

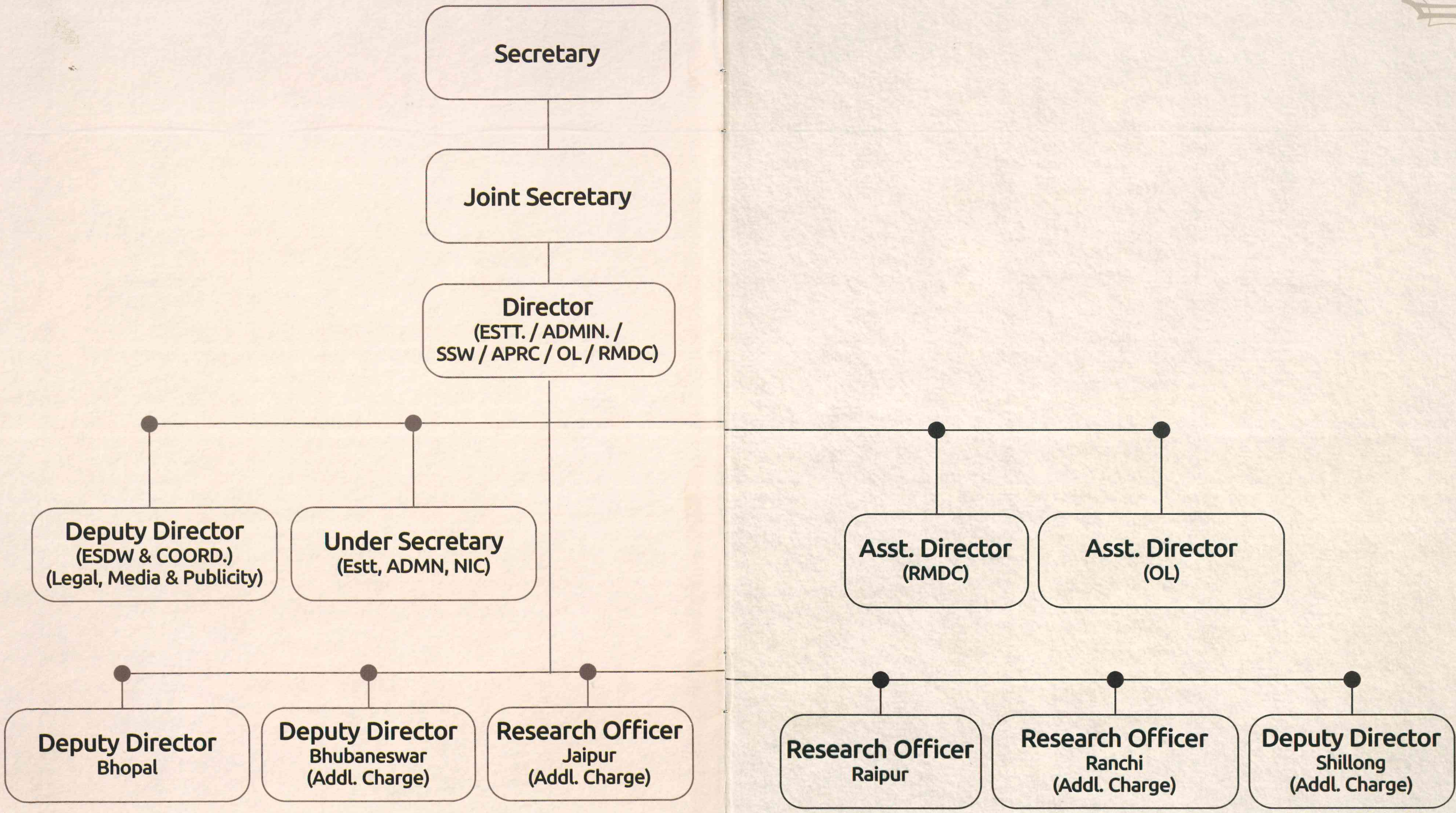

Secretary
Joint Secretary
Director
(ESTT. / ADMIN. / SSW / APRC / OL / RMDC)
Deputy Director
(ESDW & COORD.)
(Legal, Media & Publicity)
Under Secretary
(Estt, ADMN, NIC)
Asst. Director
(RMDC)
Asst. Director
(OL)
Deputy Director
Bhopal
Deputy Director
Bhubaneswar
(Addl. Charge)
Research Officer
Jaipur
(Addl. Charge)
Research Officer
Raipur
Research Officer
Ranchi
(Addl. Charge)
Deputy Director
Shillong
(Addl. Charge)

भारत में उपस्थिति

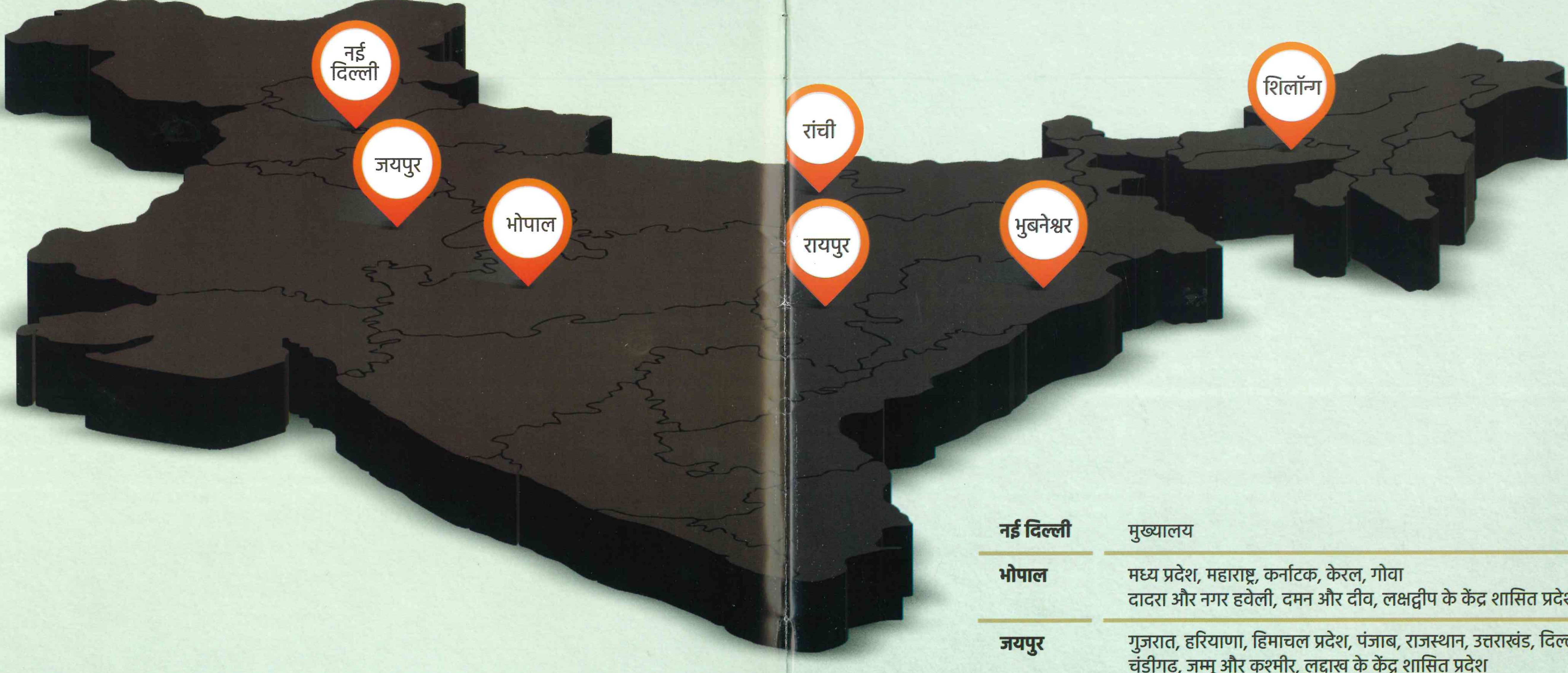

नई दिल्ली	मुख्यालय
भोपाल	मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गोवा दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, लक्षद्वीप के केंद्र शासित प्रदेश
जयपुर	गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश
रांची	झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश
रायपुर	छत्तीसगढ़
भुबनेश्वर	आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और पुडुचेरी के केंद्र शासित प्रदेश
शिलॉन्ग	अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा

जनजाति के अधिकार एवं विकास के विषय

1 वन का अधिकार

2 सामुदायिक वन अधिकार

3 अधिसूचित क्षेत्रों के लिए ग्रामसभा के अधिकार

4 विस्थापन एवं पुनर्वास

5 भूमि स्वामित्व के अधिकार

6 खनिज सम्पदा में भागीदारी

7 वित्तीय समावेशन

8 विकास योजनाओं के क्रियान्वयन का निरीक्षण एवं प्रभाव का मूल्यांकन

9 अत्याचार एवं भेदभाव

10 जनजाति संस्कृति

11 आरोग्य

12 शिक्षा एवं कौशल विकास

13 शेड्यूल्ड़ ट्राइब कॉम्पोनेन्ट

14 आरक्षण नीति

1 वन का अधिकार

प्राचीन काल से देश के वन क्षेत्रों के संवर्धन एवं उपयोग का स्वाभाविक अधिकार देश के जनजाति समुदायों के पास रहा है। अपनी विशिष्ट संस्कृति, सामाजिक व्यवस्था एवं जीवन मूल्यों के कारण वे अनवरत वन क्षेत्रों का संवर्धन करते रहे हैं।

ब्रिटिश काल में फॉरेस्ट एक्ट 1865, रिवाइज्ड फॉरेस्ट एक्ट 1878, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के द्वारा उन्हें वनों के अधिकार से वंचित कर दिया गया। परिणाम स्वरुप वनों एवं जनजाति समुदाय, दोनों की स्थिति खराब होती गई।

स्वतंत्रता के पश्चात सरकार द्वारा 1988 में लाई गई 'राष्ट्रीय वन नीति' के द्वारा जनजाति समाज के इस अधिकार को मान्यता मिलना प्रारम्भ हुई एवं 2006 में 'वन अधिकार अधिनियम' लाया गया।

'वन अधिकार अधिनियम' अपनी मूल भावना के साथ जमीनी स्तर पर लागू हो और उसके वांछित परिणाम आयें यह सुनिश्चित करना ।

- सम्बंधित नीतियों एवं नियमों का निरीक्षण करना
- योजनाओं के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करना
- सभी संबंधित पक्षों का परस्पर संवाद कराना
- शिकायतों का निवारण करना
- नीतियों का मूल्यांकन करते हुए नीतियों में परिवर्तन एवं सुधार की अनुशंसा करना

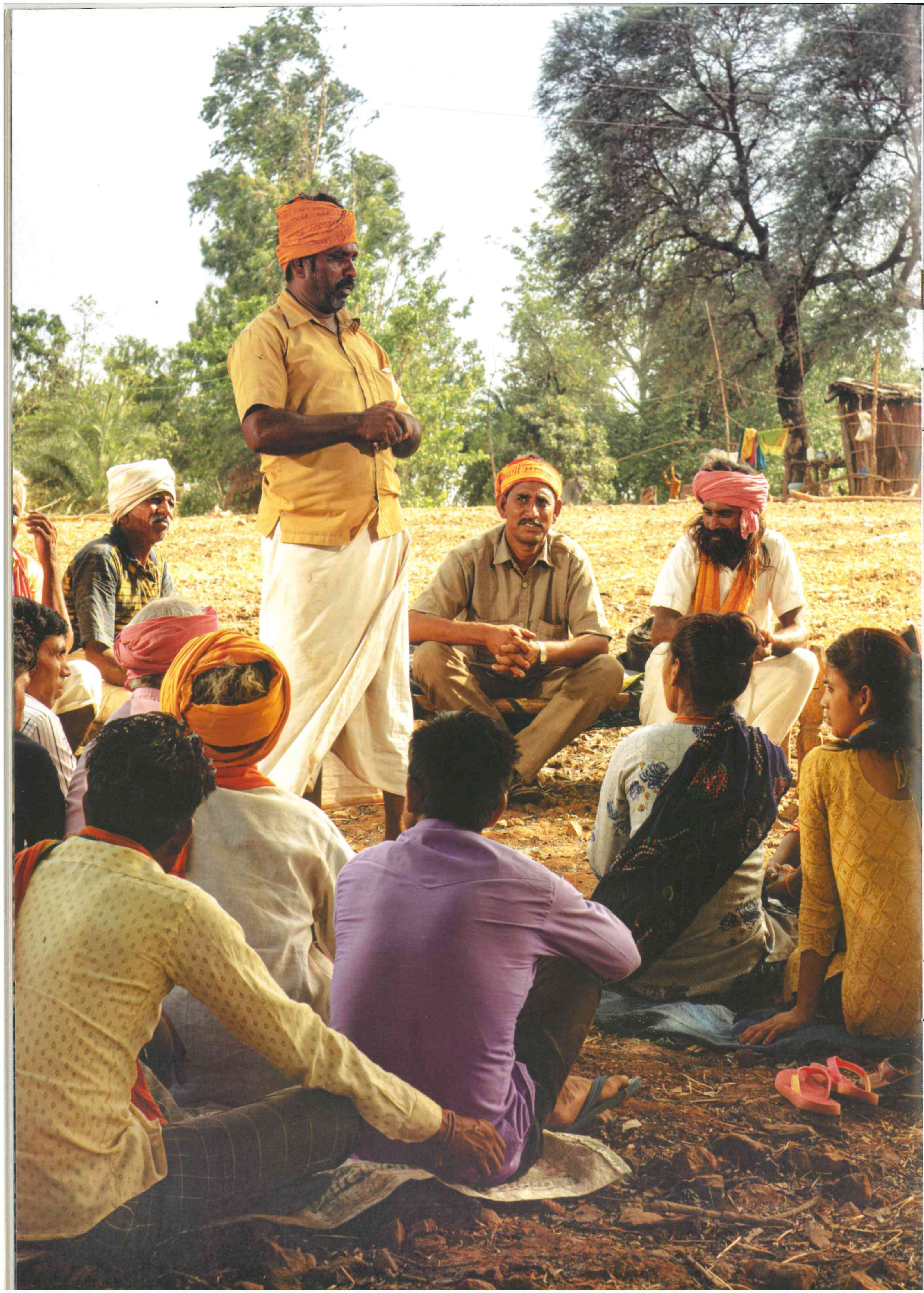

2

सामुदायिक वन अधिकार

जनजाति समुदाय ने कभी भी स्वयं को न तो वनों से अलग समझा और न ही वनों को आपस में बाँटा। अपने इस स्वभाव के कारण वह व्यक्तिगत अधिकार की अपेक्षा सामुदायिक अधिकार के बारे में ही विचार करता है।

ब्रिटिश काल में फॉरेस्ट एक्ट 1865, रिवाइज्ड फॉरेस्ट एक्ट 1878, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के द्वारा उनसे वनों के सामुदायिक अधिकार छीन लिए गए और फलतः वन क्षेत्र भी नष्ट होते गए।

स्वतंत्रता के पश्चात 2006 में सामुदायिक वन अधिकार अधिनियम के द्वारा जनजाति समाज के वनों पर सामुदायिक अधिकारों को पुनः मान्यता मिली।

सामुदायिक वन अधिकार अधिनियम अपनी मूल भावना के साथ ज़मीनी स्तर पर लागू हो और उसके वांछित परिणाम आयें यह सुनिश्चित करना।

- सम्बंधित नीतियों एवं नियमों का निरीक्षण करना
- योजनाओं के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करना
- सभी संबंधित पक्षों का परस्पर संवाद कराना
- शिकायतों का निवारण करना
- नीतियों का मूल्यांकन करते हुए नीतियों में परिवर्तन एवं सुधार की अनुशंसा करना

3 अधिसूचित क्षेत्रों के लिए ग्रामसभा

संविधान निर्माताओं ने यह समझा, कि जनजाति समाज की विकास की अपनी विशिष्ट चुनौतियाँ है। अपनी संस्कृति एवं परम्पराओं को जीवित रखते हुए जनजाति समाज विकास के मार्ग पर अग्रसर हो इसके लिए आवश्यक था कि निर्णय का अधिकार जनजाति समाज की सहज इकाई, 'ग्रामसभा' के पास हो।

पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996, इस बात को आश्वस्त करता है कि जनजाति समाज कि अस्मिता और विकास के बारे में निर्णय करने का अधिकार ग्रामसभा को है।

पेसा अधिनियम अपनी मूल भावना के साथ ज़मीनी स्तर पर लागू हो और उसके वांछित परिणाम आयें यह सुनिश्चित करना ।

- सम्बंधित नीतियों एवं नियमों का निरीक्षण करना
- योजनाओं के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करना
- सभी संबंधित पक्षों का परस्पर संवाद कराना
- शिकायतों का निवारण करना
- नीतियों का मूल्यांकन करते हुए नीतियों में परिवर्तन एवं सुधार की अनुशंसा करना

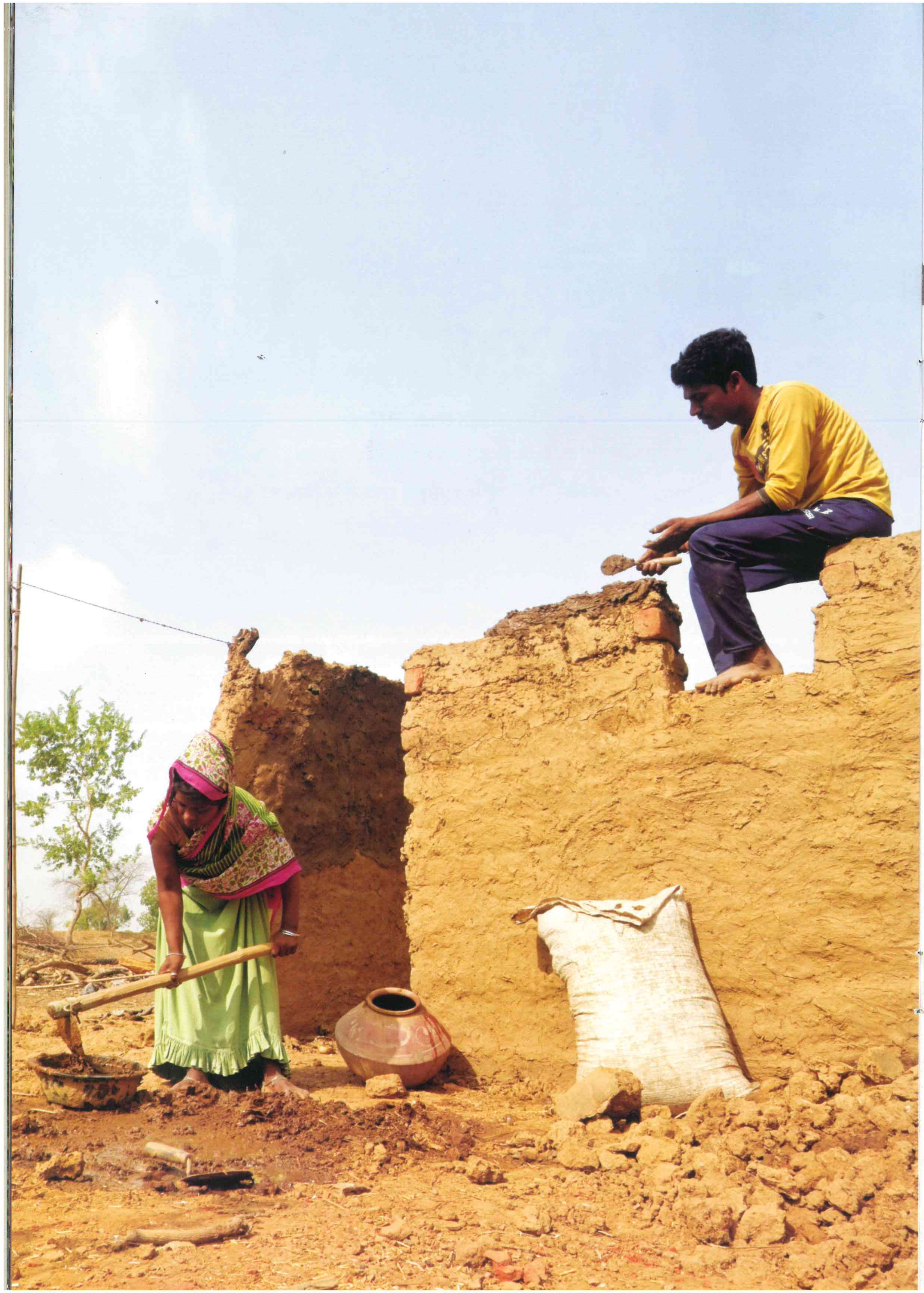

4 विस्थापन एवं पुनर्वास

देश के विकास के लिए समुदायों का विस्थापन अपरिहार्य है। परन्तु जनजाति समुदाय का विस्थापन एक विशिष्ट चुनौती है। जनजाति समुदाय के सांस्कृतिक अस्तित्व के लिए मात्र जमीन ही नहीं अपितु जल, जंगल, सामुदायिक जीवन, आस्था एवं परम्पराओं का संरक्षण भी आवश्यक है।

जनजाति समाज के पुनर्स्थापन और पुनर्वास के समय उनकी सांस्कृतिक एवं भौतिक आवश्यकताओं के रक्षण के लिए शासन द्वारा 'भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम' लाया गया।

यह अधिनियम अपनी मूल भावना के साथ ज़मीनी स्तर पर लागू हो और उसके वांछित परिणाम आयें साथ ही यह प्रक्रिया अत्यंत सुगमता से हो यह सुनिश्चित करना ।

- सम्बंधित नीतियों एवं नियमों का निरीक्षण करना
- योजनाओं के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करना
- सभी संबंधित पक्षों का परस्पर संवाद कराना
- शिकायतों का निवारण करना
- नीतियों का मूल्यांकन करते हुए नीतियों में परिवर्तन एवं सुधार की अनुशंसा करना

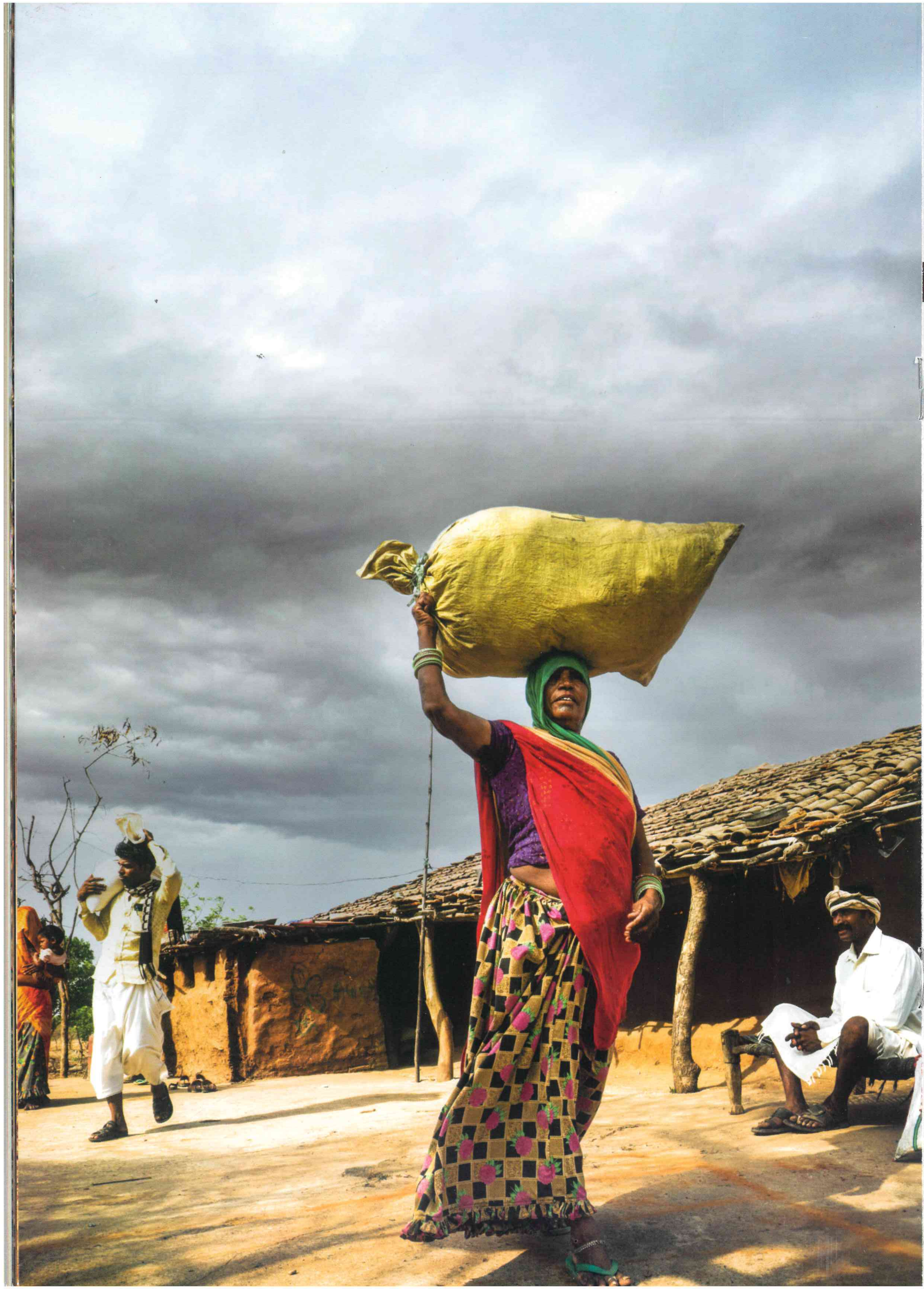

5 भूमि स्वामित्व के अधिकार

जनजाति समाज की सांस्कृतिक एवं आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए संविधान में यह प्रावधान किया गया कि जनजाति समुदाय की भूमि का किसी भी स्थिति में अवांछनीय तरीकों से हरण न हो सके।

इसके लिए संविधान में विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से जनजाति समुदायों के भूमि अधिकारों को सुरक्षित किया गया है।

इस विषय से संबंधित समस्त प्रावधान अपनी मूल भावना के साथ ज़मीनी स्तर पर लागू हो और उसके वांछित परिणाम आयें यह सुनिश्चित करना ।

- सम्बंधित नीतियों एवं नियमों का निरीक्षण करना
- योजनाओं के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करना
- सभी संबंधित पक्षों का परस्पर संवाद कराना
- शिकायतों का निवारण करना
- नीतियों का मूल्यांकन करते हुए नीतियों में परिवर्तन एवं सुधार की अनुशंसा करना

6 खनिज सम्पदा में भागीदारी

जनजाति क्षेत्रों की भूमि के नीचे उपलब्ध खनिज पदार्थों में जनजाति समाज की हिस्सेदारी को संविधान ने मान्यता दी है।

जनजाति समुदाय के इस अधिकार को मान्यता देते हुए 'खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम' और 'जिला खनिज ट्रस्ट' बनाये गए हैं।

यह अधिनियम अपनी मूल भावना के साथ ज़मीनी स्तर पर लागू हो और उसके वांछित परिणाम आयें यह सुनिश्चित करना।

- सम्बंधित नीतियों एवं नियमों का निरीक्षण करना
- योजनाओं के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करना
- सभी संबंधित पक्षों का परस्पर संवाद कराना
- शिकायतों का निवारण करना
- नीतियों का मूल्यांकन करते हुए नीतियों में परिवर्तन एवं सुधार की अनुशंसा करना

7 वित्तीय समावेशन

कुछ समय पूर्व तक ही जनजाति समाज का आर्थिक लेनदेन वस्तु विनिमय पर आधारित था। इसके साथ ही सुदूर भौगोलिक क्षेत्र में होने के कारण जनजाति समाज बैंकिंग व्यवस्था से भी अछूता रह गया ।

जनजाति समाज के वित्तीय समावेशन के लिए शासन द्वारा अनेक योजनाएँ कार्यरत हैं।

वित्तीय समावेशन की समस्त योजनाएँ अपनी मूल भावना के साथ ज़मीनी स्तर पर लागू हो और उसके वांछित परिणाम आयें यह सुनिश्चित करना ।

- सम्बंधित नीतियों एवं नियमों का निरीक्षण करना
- योजनाओं के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करना
- सभी संबंधित पक्षों का परस्पर संवाद कराना
- शिकायतों का निवारण करना
- नीतियों का मूल्यांकन करते हुए नीतियों में परिवर्तन एवं सुधार की अनुशंसा करना

8 विकास योजनाओं के क्रियान्वयन का निरीक्षण एवं प्रभाव का मूल्यांकन

Monitoring of Implementation of various **Developmental Schemes and Impact Assessment**

जनजाति समाज को आर्थिक विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए शासन द्वारा विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से अनेक विकास योजनाएँ संचालित होती हैं|

समस्त विकास योजनाएँ अपनी मूल भावना के साथ ज़मीनी स्तर पर लागू हो और उसके वांछित परिणाम आयें यह सुनिश्चित करना।

- सम्बंधित नीतियों एवं नियमों का निरीक्षण करना
- योजनाओं के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करना
- सभी संबंधित पक्षों का परस्पर संवाद कराना
- शिकायतों का निवारण करना
- नीतियों का मूल्यांकन करते हुए नीतियों में परिवर्तन एवं सुधार की अनुशंसा करना

9 अत्याचार एवं भेदभाव

Prevention against atrocities and discrimination!

संविधान निर्माताओं ने यह सुनिश्चित किया कि जनजाति समाज के साथ किसी भी तरह का भेदभाव एवं अत्याचार न होने पाए। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए शासन द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम लाया गया।

यह अधिनियम अपनी मूल भावना के साथ ज़मीनी स्तर पर लागू हो और उसके वांछित परिणाम आयें यह सुनिश्चित करना।

- सम्बंधित नीतियों एवं नियमों का निरीक्षण करना
- योजनाओं के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करना
- सभी संबंधित पक्षों का परस्पर संवाद कराना
- शिकायतों का निवारण करना
- नीतियों का मूल्यांकन करते हुए नीतियों में परिवर्तन एवं सुधार की अनुशंसा करना

10 जनजाति संस्कृति

(समावेशन और बहिष्करण, जाति प्रमाण पत्र)

संविधान में जनजाति समाज को अपनी पहचान, सुरक्षा और विकास के जो विशेष प्रावधान दिए गए, उसके मूल में जनजाति समुदाय की विशिष्ट संस्कृति है। संविधान निर्माताओं ने वन क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों को अनुसूचित जनजाति के रुप में चिन्हित किया।

शासन की ओर से किसी नए समुदाय को जनजाति की अनुसूची में जोड़ने या हटाने के प्रस्ताव पर उचित निरीक्षण कर सहमति और असहमति प्रदान करना।

साथ ही समावेशन एवं बहिष्करण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का निरीक्षण एवं मूल्यांकन कर अपनी अनुशंसा प्रदान करना।

- सम्बंधित नीतियों एवं नियमों का निरीक्षण करना
- योजनाओं के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करना
- सभी संबंधित पक्षों का परस्पर संवाद कराना
- शिकायतों का निवारण करना
- नीतियों का मूल्यांकन करते हुए नीतियों में परिवर्तन एवं सुधार की अनुशंसा करना

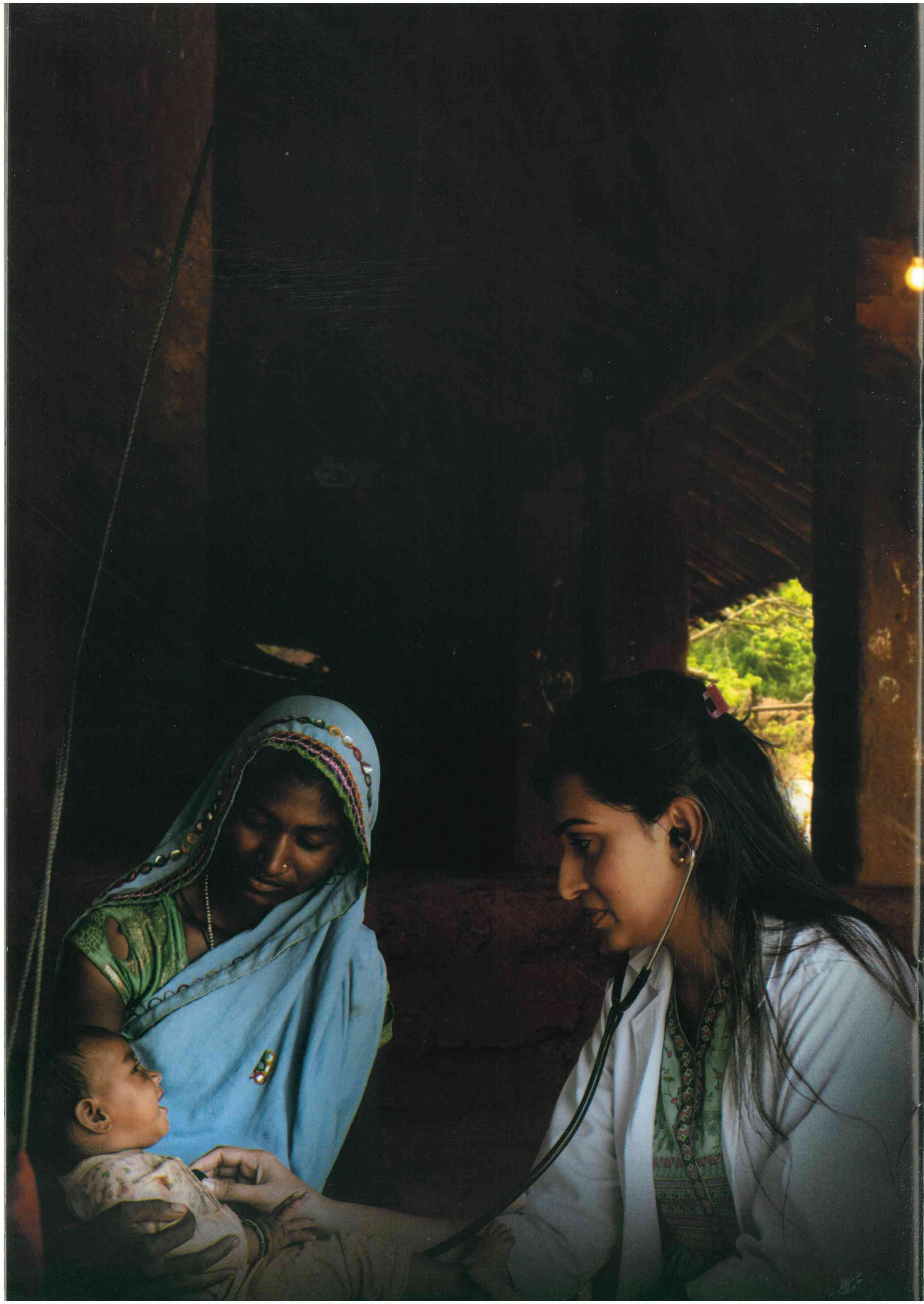

11 आरोग्य

(स्वास्थ्य और पोषण)

जनजाति क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं एवं पोषण की कमी के कारण अधिकांश जनजाति परिवार बीमारी और फिर कर्ज से जूझते हैं।

जनजाति समाज को सुगम स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए मुख्य चुनौतियां भौगोलिक दूरी, अनुवांशिक बीमारियां, पोषण की कमी से होने वाली बीमारियाँ, एवं त्वरित चिकित्सा सेवाओं का अभाव है। अधिकांश समय बीमारी के गंभीर हो जाने पर ही जनजाति परिवार चिकित्सा सुविधा तक पहुँच पाता है तथा अत्यधिक कष्ट और कर्ज का शिकार होता है।

इन चुनौतियों से निपटने के लिए शासन द्वारा अनेक योजनाएँ संचालित हैं।

स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित योजनाएँ अपनी मूल भावना के साथ ज़मीनी स्तर पर लागू हो और उसके वांछित परिणाम आयें यह सुनिश्चित करना ।

- सम्बंधित नीतियों एवं नियमों का निरीक्षण करना
- योजनाओं के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करना
- सभी संबंधित पक्षों का परस्पर संवाद कराना
- शिकायतों का निवारण करना
- नीतियों का मूल्यांकन करते हुए नीतियों में परिवर्तन एवं सुधार की अनुशंसा करना

12 शिक्षा एवं कौशल विकास

भौगोलिक दूरी एवं समाज के लिए उपयोगी पाठ्यक्रम के अभाव के चलते कम साक्षरता दर, पढ़ाई के बीच में स्कूल छोड़ने वालों की बड़ी संख्या एवं उच्च शिक्षा में नगण्य उपस्थिति जैसी बड़ी चुनौतियां जनजाति समुदायों के सामने है।

इन चुनौतियों से निपटने के लिए शासन द्वारा अनेक योजनाएँ संचालित हैं।

शिक्षा और कौशल विकास से संबंधित योजनाएँ अपनी मूल भावना के साथ ज़मीनी स्तर पर लागू हो और उसके वांछित परिणाम आयें यह सुनिश्चित करना।

- सम्बंधित नीतियों एवं नियमों का निरीक्षण करना
- योजनाओं के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करना
- सभी संबंधित पक्षों का परस्पर संवाद कराना
- शिकायतों का निवारण करना
- नीतियों का मूल्यांकन करते हुए नीतियों में परिवर्तन एवं सुधार की अनुशंसा करना

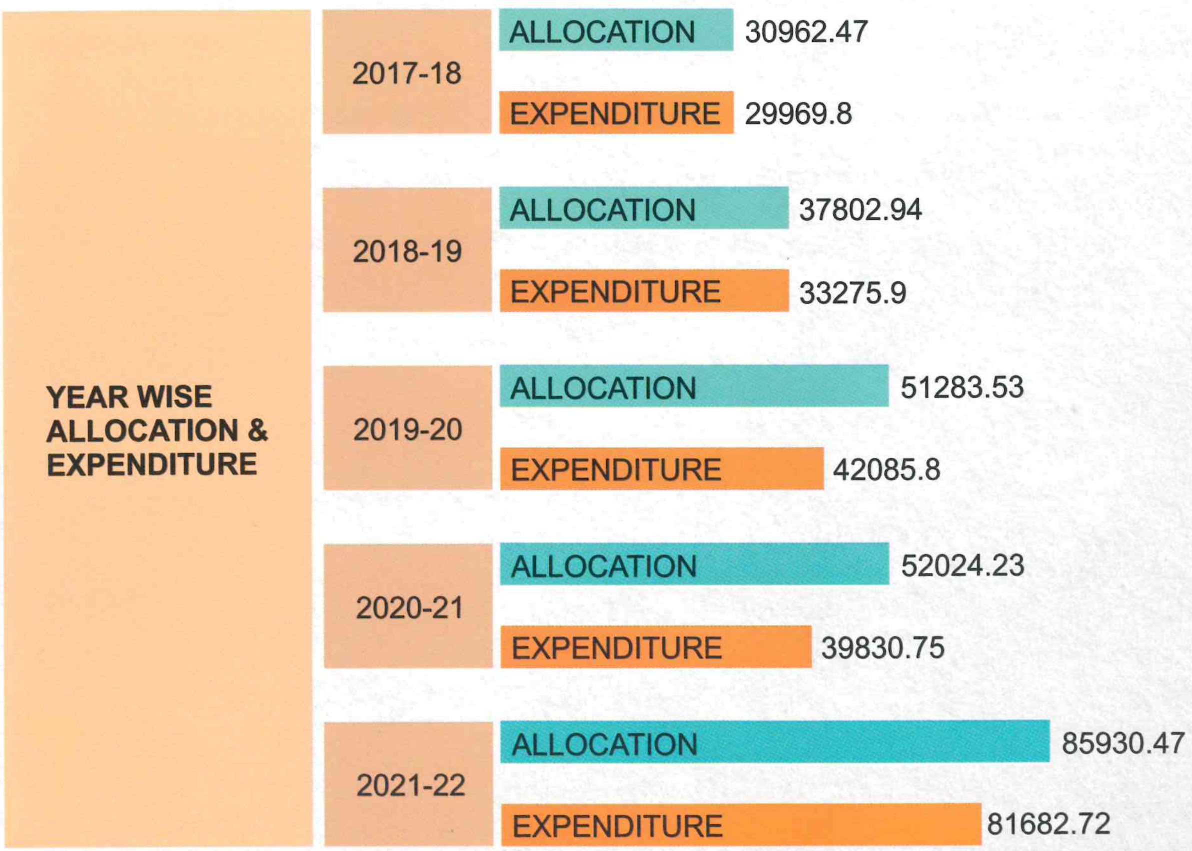

13 शेड्यूल्ड ट्राइब कॉम्पोनेन्ट

शेड्यूल्ड ट्राइब कॉम्पोनेन्ट (STC) केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों तथा प्रदेश सरकारों द्वारा जनजाति समुदायों के विकास के लिए अलग से राशि का आवंटन है। यह राशि मंत्रालयों द्वारा सामान्य रुप से सभी वर्गों के लिए किए जाने वाले व्यय से अलग और अतिरिक्त है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में STC मद में केंद्र शासन के स्तर पर 87,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

उपरोक्त मद में आवंटित राशि का उचित और प्रभावी ढंग से उपयोग हो, यह सुनिश्चित करना। इस हेतु समय-समय पर विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों से इस मद में खर्च राशि का ब्यौरा माँगकर उसका निरीक्षण करना।

- सम्बंधित नीतियों एवं नियमों का निरीक्षण करना
- योजनाओं के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करना
- सभी संबंधित पक्षों का परस्पर संवाद कराना
- शिकायतों का निवारण करना
- नीतियों का मूल्यांकन करते हुए नीतियों में परिवर्तन एवं सुधार की अनुशंसा करना

14

आरक्षण नीति

RESERVATION POLICY

संविधान द्वारा, जनजाति समाज के यथोचित प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्यों में जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान है।

राजनीतिक आरक्षण - संसद, विधानसभाओं, नगर निगमों एवं पंचायतों में।
शिक्षा में आरक्षण - केंद्रीय शिक्षण संस्थाओं में 7.5 प्रतिशत एवं राज्यों में जनसंख्या के अनुपात में।
नौकरियों में आरक्षण - केंद्र सरकार की नौकरियों में 7.5 प्रतिशत एवं राज्यों में जनसंख्या के अनुपात में।
योजनाओं एवं निविदाओं में आरक्षण - केंद्र तथा राज्य सरकारों में योजनाओं/निविदाओं में आरक्षण, विभिन्न कार्यों, सेवा-परियोजनाओं और खुदरा विक्रय केंद्र डीलरशिप में जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण।

आरक्षण से सम्बंधित प्रावधान एवं योजनाएँ अपनी मूल भावना के साथ ज़मीनी स्तर पर लागू हो और उसके वांछित परिणाम आयें यह सुनिश्चित करना ।

- सम्बंधित नीतियों एवं नियमों का निरीक्षण करना
- योजनाओं के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करना
- सभी संबंधित पक्षों का परस्पर संवाद कराना
- शिकायतों का निवारण करना
- नीतियों का मूल्यांकन करते हुए नीतियों में परिवर्तन एवं सुधार की अनुशंसा करना

एक कदम और...

नीति निर्माता

क्रियान्वयन संस्थाएं

ग्रामसभा

संवाद
सबका प्रयास

योजनाकार

जनजाति समाज

सामाजिक संगठन

जनजाति समुदायों की जमीनी स्तर की समस्याओं के बारे में 'छवि एवं वास्तविकता' (Image vs Reality) के अंतर के कारण नीतियों का निर्माण एवं क्रियान्वयन करने वाली संस्थाओं में सही जानकारी का अभाव रहता है। इस कारण से त्रुटिपूर्ण नीतियों का निर्माण एवं अप्रभावी क्रियान्वयन होता है।

ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि जनजाति समाज स्वयं, अपनी जमीनी समस्याओं के बारे में एवं नीतियों की कमियों के बारे में नीतियाँ बनाने वाली संस्थाओं से सीधा संवाद कर सके।

जनजाति समाज के बारे में नीतियाँ बनाने वाली संस्थाओं को एक साथ लाना, उनका जनजाति समाज के साथ सीधा संवाद कराना ताकि नीति निर्माता, योजनाकार एवं योजनाओं का क्रियान्वयन करने वालों में जनजाति समाज के प्रति सही समझ एवं परस्पर तालमेल बनाते हुए नीतियों के सुधार एवं नई प्रभावी नीतियों को सुनिश्चित किया जा सके।

परिणाम स्वरूप शिकायतें कम हो सकें, शिकायतों का त्वरित निराकरण हो, सम्पूर्ण व्यवस्था न्यायपूर्ण एवं प्रभावी बने ताकि समाज का व्यवस्था के प्रति विश्वास बढ़े।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग,
जनजाति समाज के बारे में
संविधान निर्माताओं की दृष्टि को
भलीभाँति समझता है।

आयोग इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए
विभिन्न आयामों पर तेज़ी से और प्रभावी
ढंग से कार्य कर रहा है।

आइए जनजाति समाज को लेकर
संविधान निर्माताओं द्वारा देखे गए स्वप्न
को शीघ्रता से साकार करें। जनजातियों
की अस्मिता, अस्तित्व और विकास की
इस यात्रा को अपने गंतव्य तक पहुँचाने
में अपनी भूमिका सुनिश्चित करें।

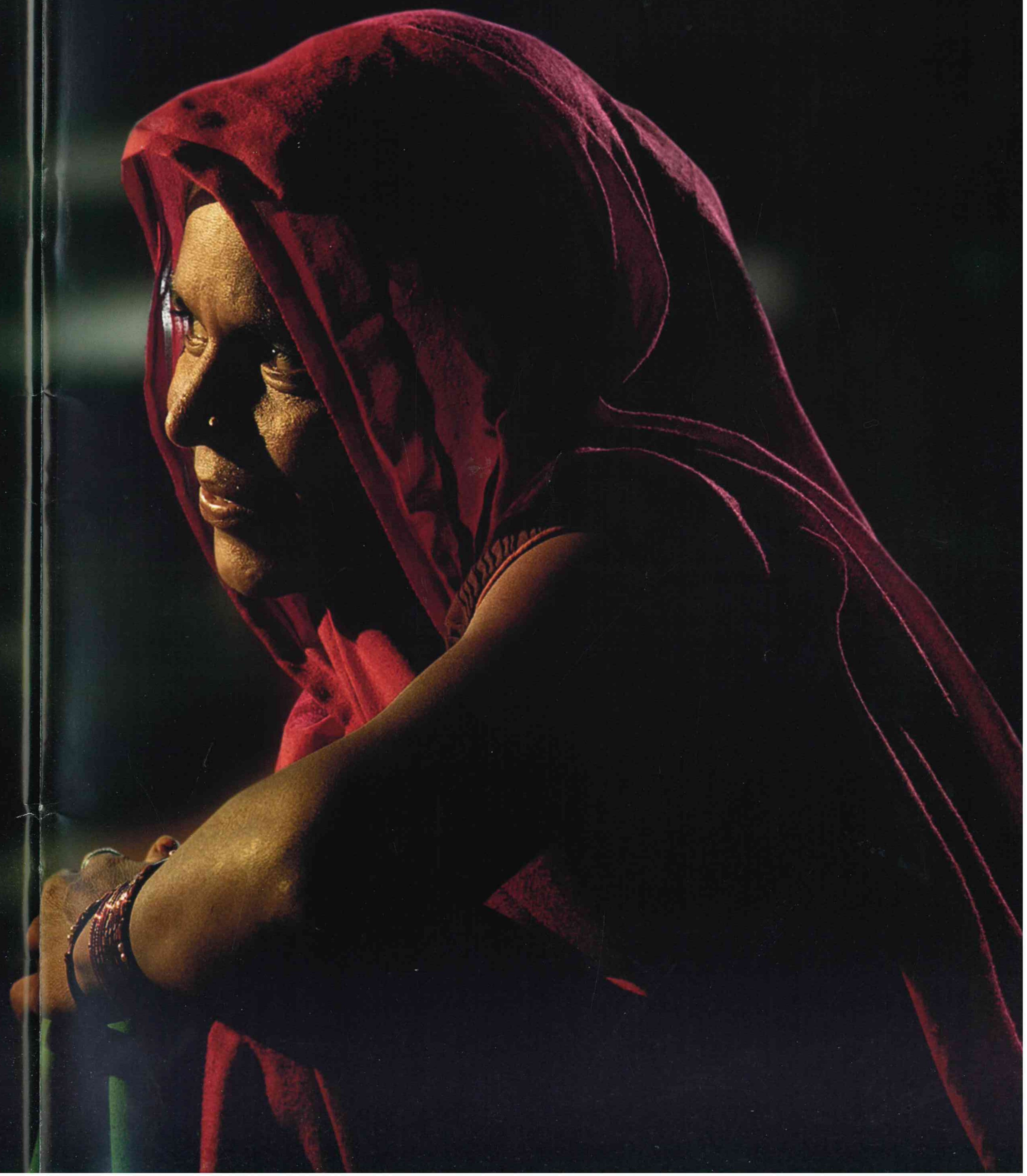

" आज भारत का जनजाति समाज बड़े गर्व के साथ
कह सकता है कि उसकी अस्मिता, अस्तित्व और विकास के लिए
जो प्रावधान भारत के संविधान में है वे दुनिया के किसी देश में नहीं है।

हम आह्वान करते हैं देश के नीति नियंताओ से, नीतियों का
क्रियान्वयन करने वाली संस्थाओ से एवं स्वयं जनजाति समाज से
कि वे आगे आकर और एकजुट होकर जनजाति समाज की
अस्मिता, अस्तित्व और **विकास** के लिए कार्य करें
ताकि जनजाति समाज अपनी संस्कृति की रक्षा करते हुए अपने
अधिकारों का उपयोग करते हुए स्वयं विकास की और अग्रसर हो और
देश के विकास में भी अपना योगदान दे सके। "

अनंत नायक
मान्नीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

National Commission For Scheduled Tribes

छठवां तल, बी—विंग, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली - 110 003
संपर्क नंबर: 011-24604689 | टोल फ्री नंबर: 1800-11-7777 | वेबसाइट: www.ncst.nic.in

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

National Commission For Scheduled Tribes

छठवां तल, बी—विंग, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली - 110 003
संपर्क नंबर: 011-24604689 | टोल फ्री नंबर: 1800-11-7777 | वेबसाइट: www.ncst.nic.in

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

National Commission For Scheduled Tribes